

प्रकरण संख्या 08/2016

राजस्थान सरकार
न्यायालय तहसीलदार बीदासर
दायरा दिनांक 16.08.2016

पीठासीन अधिकारी
श्री ओमप्रकाश वर्मा
आरटीएस
तहसीलदार बीदासर

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी पटवार मण्डल सडूछोटी
प्रार्थी.....

बनाम
अमरसिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी सडूबड़ी
अप्रार्थनी.....


निर्णय

दिनांक 22.09.2017

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है पटवारी हल्का सडूछोटी की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी अमरसिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सडूबड़ी ने रोही सडूबड़ी के खसरा नम्बर 83/524 रकबा 00-18 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर भूमि में से 00-06 बीघा भूमि पर बाढा बनाकर नाजयज अतिक्रमण कर लिया है। अप्रार्थी को धारा 91 एल आर एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थी को पुनः नोटिस जारी किया गया परंतु अप्रार्थी अनुपस्थित रहा।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं संपूर्ण पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट साबित है कि अप्रार्थी अमरसिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी सडूबड़ी ने खसरा नम्बर 83/524 रकबा 00-18 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर भूमि में से 00-06 बीघा भूमि पर बाढा बनाकर नाजयज अतिक्रमण कर लिया है। अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल करने का आदेश दिये जाते हैं। उक्त भूमि का शरह पड़ता 00.40 रूपये लगान का 50 गुणा से रूपये 06-00 रूपये से अप्रार्थी को दण्डित किया जाता है। तदनुसार भू0अ0 निरीक्षक तेहनदेसर को अप्रार्थी को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं पटवारी हल्का सडूछोटी को तावान राशि वसूल करने हेतु आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया गया एवं सरे इजलास सुनाया गया।



(ओमप्रकाश वर्मा)
आरटीएस
तहसीलदार बीदासर
बीदासर (चूरु)